

प्रोजेक्ट - राष्ट्रीय राजमार्ग- 135ए के चैनेज सं०-34.900 (मदोही) से चैनेज सं०-73.134 (जौनपुर), तक चार लेन के विन्यास के लिए चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का प्रस्ताव।

प्रस्ताव सं० - FP/UP/ROAD/141411/2021

### फार्म 'क', भाग-III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14	स्थल जहाँ वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हाँ दि० 17-11-2021 संलग्न है।
15	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग "ख" में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	सहमत
16	प्रस्ताव के स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	प्रस्ताव को स्वीकृत करने की स्मृति की जाती है।

तिथि : 14-12-2021

स्थान : वाराणसी

(प्रमोद कुमार शर्मा)  
वन संरक्षक  
वाराणसी विभाग, वाराणसी

## निरीक्षण टिप्पणी

पी0डब्लू0डी0, एन0एच0डिविजन-1 वाराणसी द्वारा जनपद जौनपुर के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-135ए के चैनेज संख्या-34.900 (भदोही) से चैनेज संख्या-73.134 (जौनपुर) तक चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्तावित 65.612 हे0 संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं 5280 बाधक वृक्षों के पातन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

पी0डब्लू0डी0, एन0एच0डिविजन-1 वाराणसी द्वारा जनपद जौनपुर के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-135ए के चैनेज संख्या-34.900 (भदोही) से चैनेज संख्या-73.134 (जौनपुर) तक चार लेन चौड़ीकरण में प्रस्तावित 65.612 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 34.085 हे0 गैर वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण दिनांक-17.11.2021 को अधोहस्ताक्षरी तथा श्री जनार्दन राम पाल, सहायक अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड-1 लोक निर्माण विभाग, वाराणसी के साथ संयुक्त रूप से किया गया।

इसके अतिरिक्त प्रश्नगत क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, जैव मण्डल, बाघ रिजर्व, हाथी कारिडोर आदि का भाग नहीं है तथा किसी सुरक्षित पुरातत्वीय/परम्परिक अथवा रक्षा प्रतिष्ठान या अन्य किसी महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित नहीं है। परियोजना हेतु प्रस्तावित क्षेत्र परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है तथा कोई विकल्प नहीं है। प्रश्नगत संरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है और मांगी गयी वन भूमि योजना की आवयकता को देखते न्यूनतम है।

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

(प्रमोद कुमार गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी वन संरक्षक,  
वाराणसी वृत्त वाराणसी।